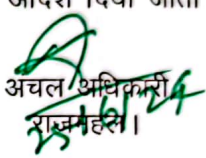
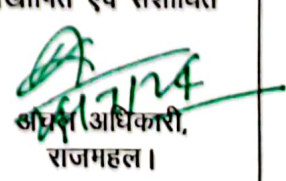


आदेश पत्रक
आदेश पत्रक तारीख - 25.06.2024 से 24.07.2024
वाद संख्या - 07/2024-25
केस का प्रकार - अतिक्रमण वाद (ई-राजस्व न्यायालय)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	
25.06.2024	अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अंचल राजमहल के द्वारा सूचित किया गया है कि मौजा - बेगमपुरा, थाना सं० - 84 अनावदी भूमि खाता सं० - 47, दाग सं० - 42 कुल रकबा 04 बी० 08 क० 19 धूर जमीन किस्म - तलाब पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसका स्थलीय जाँच किया जा सकता है। उक्त प्राप्त सूचना के आधार में अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्थलीय जाँच करने एवं अतिक्रमण कारियों को चिन्हित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को सायुक्त रूप से जाँच करने का आदेश दिया जाता है।  अंचल अधिकारी राजमहल।	
10.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अंचल राजमहल द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उक्त भूमि अनावदी खाता एवं किस्म - तालाब कहकर भू-अभिलेख में दर्ज होने का उल्लेख किया गया है, जिसपर बेचनी पहाड़िन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। बेचनी पहाड़िन को नोटिस निर्गत करें। तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। वाद की सुनवाई की अगली तिथि - 24.07.2024 को अभिलेख उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी राजमहल।	
24.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बेचनी पहाड़िन उपस्थित। इनके द्वारा बताया गया कि उन्हें सरकार द्वारा पट्टा प्राप्त है तथा पट्टा वाले भूमि पर मेरा घर है। मैं पोखर वाले भूमि का अतिक्रमण नहीं कर रही हूँ। पट्टा उपस्थापित किया गया। बेचनी पहाड़िन को यह आदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं करें। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी राजमहल। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी राजमहल।	

कार्यालय, अंचल अधिकारी, राजमहल (साहेबगंज)।

नोटिस
ज्ञापांक 502/रा0, दिनांक - 12/06/2024

प्रेषित,

नाम - बेचनी पहाड़िन,

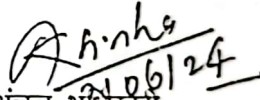
पिता/पति - खोगेन पहाड़िया,

सा0 + मौजा - बेगमपुरा, राजमहल।

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि राजस्व उपनिरीक्षक, प्रमारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन, अंचल राजमहल के प्रतिवेदनानुसार मौजा - बेगमपुरा के थाना न0-84, खाता सं0 - 47, दाग न0 - 42 के रकबा 04 बी0 08 क0 19 धूर जमीन किस्म पोखर कहकर दर्ज है। आपके द्वारा उक्त भूमि पर भिड़ी भर कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जो विहार/झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956/2020 के तहत अवैध कब्जा है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक - 27/06/24 तक अविलंब अतिक्रमण हटा लें या अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। अन्यथा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाते हुए आपके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।


अंचल अधिकारी,
राजमहल।
12/06/2024

 बेचनी पहाड़िन